न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 33/2024

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्रार्थी – 1. मूलाराम पुत्र मोटाराम, जाति जाट,
निवासी गुमाने का तला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.तहसीलदार चौहटन 2.उदा 3.मंगला 4.सुमार 5.सुरता पि.अगरा
जाति मेघवाल, निवासी गुमाने का तला, तहसील चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थी – **श्री ठाकराराम**
विप्रार्थीगण – **एकतरफा**

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 14.08.2024

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी का खेत मौजा गुमाने का तला, पटवार क्षेत्र गुमाने का तला, तहसील चौहटन में खसरा स. 407/163 रकबा 10.7721 हैक्टयर का आया हुआ है। जिस पर प्रार्थी की रहवासी ढाणियां, कृषि कुआ, टांके आदि बने हुए है। प्रार्थी के सेढ़ा सेढ विप्रार्थी सं. 2 से 5 की खातेदारी का खेत खसरा सं. 406/163 रकबा 05.6656 हैक्टयर का आया हुआ है। प्रार्थी को उक्त खेत मूल खसरा सं. 163 में से आवंटन हुआ था, जिसके खसरा सं. 163/1 जो वर्तमान में खसरा सं. 407/163 है, आवंटन के बाद प्रार्थी का मौके पर लगातार [illegible] से कब्जा काश्त चला आ रहा है, विप्रार्थी सं 2 से 5 को प्रार्थी के आवंटन के बाद [illegible] भूमि आवंटित हुई।

वर्तमान में मौके पर नक्शा ट्रेस [illegible] तरमीम कम्प्यूटराइज करते वक्त गलत दर्ज की गई। जो प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 2 से 5 के कब्जा काश्त के विपरीत है। प्रार्थी [illegible] वर्तमान कब्जा काश्त आवेदन के साथ सलंग्न परिशिष्ट अ में बरंग [illegible]ल तथा विप्रार्थी सं[illegible] 4 का बरंग काला अनुसार है, इसी अनुसार तरमीम करनी थी लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने कब्जा काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:03:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

के वितरित तरमीम कर दी । जिसे प्रार्थी दुरस्त करवाने का अधिकारी है। जिस हेतु उक्त आवेदन तरमीम शुद्धि का पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता ने आवेदन में वर्णित तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार कर तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, अतः विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार जो तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, उन्हें स्वीकार है उसी अनुसार आवेदन का निस्तारण किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की मौका फर्द का अवलोकन किया गया जिसमें तहसीलदार चौहटन उक्त वादग्रस्त आराजी की तरमीम सलंग्न नक्शा के परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया तथा जमाबन्दी की प्रविष्टियों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन के मौजा गुमाने का तला खसरा सं. 407/163 रकबा 10.7721 हैक्टयर की तरमीम तहसीलदार चौहटन से प्राप्त जांच रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा के परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त जांच रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:03:17 IST
Reason: SelfAttested

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

फर्द मौका

प्रकरण०।

आज दिनांक 01.05.24 को श्रीमान तहसीलदार [illegible] के आदेश क्रमांक/मु.आ 2024/610-11 दिनांक 12.4.24 की पालनार्थ माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] के राजस्व आवेदन नं. 33/2024 में दिये गये आदेश/राजस्व कोर्ट 2024/725 दिनांक 28/03/2024 की पालना में ग्राम ग्रुमाने [illegible] के खसरा नम्बर 407/163 रकबा 10.7727 हैक्टेयर की तरमीम दुरस्ती हेतु मौके पर पहुंचा। पटवारी हलका ग्रुमाने का तला एवं मौतबिरान [illegible] जाति [illegible] के खसरा 406/163 के खातेदार उपस्थित रहे। दोनो पक्षकारों के रूबरू मौका स्थिति की जांच की गई। प्रदर्शित नक्शा में दर्ज तरमीम प्रपत्र अ में दर्शाये अनुरूप है। मौका कब्जा अनुरूप तरमीम प्रपत्र ब में दर्शाये अनुरूप है। अतः प्रपत्र अ के मुताबिक तरमीम को जारी किया जाकर प्रपत्र ब में दर्शाये अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है। जिससे की खसरा 406/163 एवं 407/163 दोनो ही कायम कास्तकार का कब्जा मुताबिक हो जायेगा।

प्रकरण पटवार

मूलाराम

तनसुखाराम

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:03:17 IST
Reason: SelfAttested

01.05.24

पटवारी हलका ग्रुमाने का तला

नवलाराम

कुमार

नरेन्द्र

दलाराम

पाराराम

पूनमाराम

सुखी

मेमनराम

[illegible]

प्रपत्र-2

प्रपत्र (क)

नक्शा मौका कब्जा अनुसार

चक 9 ... गांव

(--) आवेदक का मौका नक्शा

407/163 = 10.7727	406/163 = 5.6656

Ex-count

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

दोनों खातों के खातेदारों का प्रपत्र क (... [illegible]) दोनों पक्ष ... [illegible] तरमीम ... [illegible] ... नक्शा मौके पर ... [illegible] ... के हिसाब से ... [illegible] ... अतः ... [illegible] ... तरमीम ... [illegible]

हरीसिंह

पारस

पुरखाराम

मगाराम

प्रकाशराम

सुमार

धाराराम

खेमाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:03:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण नं.

राजस्व रिकार्ड दुरुस्त हो जायेगा। जमाबन्दी प्रविष्टियो मे कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है

प्रपत्र (अ)

जमाबन्दी अनुसार

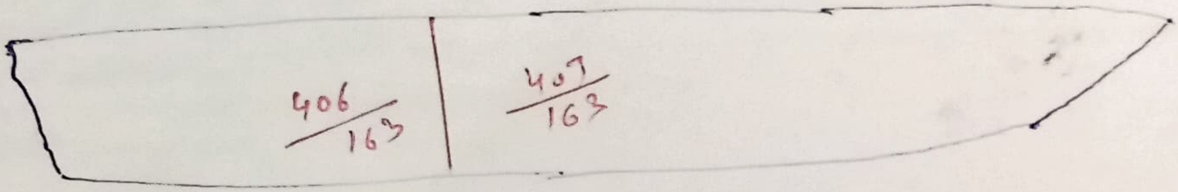

अतः प्रपत्र अ अनुसार तरमीम दुरुस्ती किया जाना उचित रहेगा। प्रपत्र अ मौके पर मौका फर्द मा. तैयार किया गया है

10.5.24

हरीसिंह

सम्पतराम

पुखराज

सुमार

पाराराम

दलाराम

पूनमाराम

नैणाराम

भगाराम

जितेन्द्र शर्मा
पटवारी (भू.अ.) गुपाने का तला
तहसील चौहटन

तहसीलदार (भू.अ.) चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:03:17 IST
Reason: SelfAttested